

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-11, सुलतानपुर

सत्र परीक्षण संख्या-455/2019

राज्य बनाम मो० सोनू

आरोप

मैं पी० के० जयन्त, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-11, सुलतानपुर एतद्वारा आप अभियुक्त मो० सोनू पर निम्न आरोप विरचित करता हूँ:-

यह कि दिनांक 29.12.2018 को समय 02.50 बजे, स्थान घटनास्थल आनापुर बसबरिया, थाना चांदा, जिला सुलतानपुर, में पुलिस तलाशी में आपके कब्जे से एक अदद तमंचा अवैध 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ, जिसको रखने का लाईसेन्स आपके पास नहीं था। इस प्रकार आपने धारा-3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

ह-27.1.2020

दिनांक:-27.01.2020

(पी० के० जयन्त)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-11, सुलतानपुर

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इंकार कर, विचारण की माँग की।

दिनांक:-27.01.2020

(पी० के० जयन्त)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-11, सुलतानपुर

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-11, सुलतानपुर

सत्र परीक्षण संख्या-455/2019

राज्य बनाम मो0 सोनू

आदेश पत्र

दिनांक:-27.01.2020

वाद पुकारा गया। अभियुक्त मो0 सोनू उपस्थित है तथा राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक भी उपस्थित हैं।

विद्वान लोक अभियोजक ने अभियोजन पक्षकथन एवं अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए, उस साक्ष्य का उल्लेख किया, जिसके द्वारा वह आरोप सिद्ध करना चाहते हैं।

आरोप के सम्बन्ध में अभियुक्त तथा विद्वान लोक अभियोजक के तर्क सुनने व अभिलेख का अध्ययन करने से प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध धारा-3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का समुचित आधार प्रतीत होता है।

तदनुसार उपरोक्त धारा में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया, जिससे उसने इंकार कर, विचारण की माँग की, फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य आहूत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-11, सुलतानपुर